अनुच्छेद 370

जम्मू कशमीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध

1947 ई0 में जब भारत का विभाजन हुआ तो अंग्रेजों ने रजवाड़ो को स्वतंत्र कर दिया था। इस समय जम्मू कशमीर का राजा **हरि सिंह** स्वतंत्र रहना चाहता था और भाारत में विलय होने का विरोध करने लगा उस समय सभी अन्य राज्य थे जो रजवाड़े के अन्दर आते थे उन्होने भी भारत देश का विलय का विरोध किया पर **सरदार पटेल** के भय से स्न भारत में मिल गए। मगर कशमीर का मामला **नेहरू जी** ने अपने हाथों में ले लिया और पटेल को इससे अलग रखा, उस वक्त **नेहरू और अब्दुल्ला** के बीच वातचीत हुई और जम्मू क"मीर की समस्या शूरू हो गई।

जम्मू कशमीर में पहली अंतरिम सरकार बनाने वाले नेशलन कान्फ्रेंस के नेता **शेख अब्दुल्ला** ने भारतीय संविधान सभा से बाहर रहने की बात की थी।

नेहरू जी का विचार था कि जम्मू और कशमीर राज्य के साथ विशेष सम्बन्धों के बारे में एक धारा संविधान में शामिल की जाए।

इसका आशय यह था कि भारतीय संघ का अंग होने के बावजूद उस राज्य को अपना अलग विधान बनाने का अधिकार था। सरदार पटेल चाहते थे कि कशमीर राज्य पूरी तरह भारतीय संघ में विलय हो जाएं मंत्रिमंडल इस बात पर विभक्त था और संविधान सभा में मतो को प्रवत्ति पटेल के पक्ष में थी लेकिन जब यह प्रशन असेम्बली के सामने प्रस्तुत हुआ, तो सरकार की एकता के हित में पटेल ने अपना दृष्टिकोण वापस ले लिया।

इसेक बाद भारतीय संविधान में धारा 370 का प्रावधान किया गया जिसक तहत जम्मू कशमीर की विशेष अधिकार प्राप्त है।

- 1951 में राज्य को संविधान का अलग से बुलाने की अनुमति दी गयी।
- नवम्बर, 1956 में राज्य के संविधान का कार्य पूरा हुआ। 26 जनवरी 1957 को राज्य में विशेष संविधान लागू कर दिया जाए।

धारा 370 में अतिलिखित अधिकार

1. जम्मू कशमीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता प्राप्त है, एक जम्मू कशमीर की दूसरी भारत की।
2. जम्मू कशमीर का अपना अलग–अलग राष्ट्रध्वज होता है।
   जो कि भारतीय तिरंगे से बिल्कुल भिन्न है।
3. अन्य राज्यों के समान जम्मू कशमीर के पास अपनी एक विधान सभा होती है।
   अगर जम्मू कशमीर की विधान सभा का कार्यकाल छः वर्ष का होतो है।
   भारत के अन्य राज्यो की विधानसभाओं का कार्यकाल पॉच वर्ष होता है।
4. यदि आप जम्मू कशमीर में जाकर भारतीय तिरंगे का अपमान कर देते है तो इसे अपराध नहीं माना जाता है।
5. भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुपोम के आदेश जम्मू कशमीर में मान्य नहीं।
6. भारतीय संविधान की धारा 370 को वित्तिय आपात काल से सम्बन्धित है। वह धारा 370 के चलते जम्मू कशमीर में मान्य नही।
7. भारतीय संविधान के भाग चार में राज्य के नीति निर्देशक तत्वो का प्रावधान है और भाग 4(A) में नागरिको के मूल कर्तव्य लिखित है पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जम्मू कशमीर में कोई भी मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व लागू नहीं होतो है।
8. भारत की सांसद जम्मू कशमीर के संबंध में अत्यंत सीमित क्षेत्र कानून बना सकती है, अन्य विषयों में कानून बनाने के लिए केन्द्र के राज्य सरकार अनुमोदन चाहिए।
9. धारा 370 के कारण जम्मू कशमीर में सूचना का अधिकार शिक्षा का अधिकार एवं CAG लागू नहीं होता है।
10. कशमीर में अल्पसंख्यक को आरक्षण नही मिलता। कशमीर में बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते धारा 370 की वजह से पाकिस्तानियों को भारत की नागरिकता मिल सकती है इसके लिए सिर्फ उन्हें कशमीरी लड़की से शादी पड़ेगी।

नाम : शहवाग अन्सारी

मो0नं0 : 979546944